Central Vigilance Commission | राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद National Productivity Council | सत्यमेव जयते Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India | G20 भारत 2023 INDIA | 75 Azadi Ka Amrit Mahotsav

PUBLIC INTEREST DISCLOSURE & PROTECTION OF INFORMER RESOLUTION, 2004 (PIDPI)

(जनहित प्रकटीकरण एवं सूचनादाता संरक्षण, 2004)

पीआईडीपीआई क्या है?

पीआईडीपीआई भारत सरकार का एक संकल्प है जिसके अंतर्गत की गयी समस्त भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों में शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

पीआईडीपीआई के अंतर्गत शिकायत कैसे की जाती है ?

- समस्त शिकायतें सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित की जानी चाहिये एवं लिफाफे के ऊपर ‘पीआईडीपीबाई ;च्क्च्प्द्ध’ अवश्य अंकित किया जाये।
- शिकायतकर्ता का नाम एवं पता केवल शिकायतपत्र पर अंकित किया जाये ना कि लिफाफे पर।

शिकायतकर्ता की पहचान को गोपनीय रखने संबंधी दिशानिर्देश

- यदि शिकायतें शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रूप से संबंधित है अथवा जो उपरोक्त प्राधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी को संबोधित की गयी हैं तो पहचान के प्रकटन का जोखिम बढ़ जाता है।
- शिकायत हेतु प्रयुक्त लिफाफा घुला न हो तथा शिकायत किसी अन्य सार्वजनिक पोर्टल के माध्यम से न प्रेषित की जाये।
- ऐसे दस्तावेज, जो पहचान प्रकट करते हों, को शिकायतपत्र के साथ संलग्न न किया जाये अथवा शिकायतपत्र पर अंकित न किया जाये : उदाहरणार्थ सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त दस्तावेज|
- शिकायत की पुष्टि हेतु शिकायतकर्ता का नाम एवं पता लिफाफे के अंदर रखे शिकायत पत्र पर अंकित होना चाहिए।
- शिकायत/तों को सम्यक पुष्टि के अभाव में बंद कर दिया जाएगा।
- बेनामी / छद्मनामी पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट
https://www.cvc.gov.in देखें

National Productivity Council

सत्यमेव जयते
Department of Industrial Policy and Promotion
Ministry of Commerce and Industry
Government of India

G20 भारत 2023 INDIA

Azadi Ka Amrit Mahotsav

PUBLIC INTEREST DISCLOSURE & PROTECTION OF INFORMER RESOLUTION, 2004 (PIDPI)

WHAT IS PIDPI?

- PIDPI is a resolution of Government of India.
- Identity of the complainant is kept confidential for all complaints lodged under it

HOW IS PIDPI COMPLAINT FILED?

- The Complaint should be addressed to Secretary, CVC and the envelope should be super scribed as "PIDPI"
- Name and Address of the complainant should NOT be mentioned on the envelope but in the letter inside in a closed cover.

GUIDELINES TO ENSURE IDENTITY OF COMPLAINANT REMAINS CONFIDENTIAL

- Complaints that are personally related to the complainant or addressed to other authorities may lead to disclosure of identity.
- Complaints should not be sent in open condition or on public portal.
- Documents that reveal identity should not be enclosed or mentioned in the complaint. e.g., documents received under RTI.
- Name and Address should be mentioned on the letter inside the envelope for confirmation purposes.
- Complaints where confirmation is not received are closed.

VIGILANCE AWARENESS WEEK 2023

For more details visit https://www.cvc.gov.in